

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में दो भागों में सात अध्याय सम्मिलित हैं। भाग-क राजस्व उपार्जन करने वाले चार विभागों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है तथा भाग-ख चयनित सरकारी विभागों द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसके अधीन जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम 2007 के प्रावधानों के अधीन की गई है। इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के पटल पर उपस्थापित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2021-22 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2021-22 की अवधि के आगे के दृष्टांत, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।